कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (शाहदरा): कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली।

CB-1241
14/9/22

परिपत्र

माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (शाहदरा) से प्राप्त अनुमति के अनुपालन में शाहदरा जिला, कड़कड़डूमा न्यायालय परिसर, दिल्ली में आप सभी को सहर्ष सूचित किया जाता है कि सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने व इसका प्रचार-प्रसार करने तथा दैनिक सरकारी कामकाज राजभाषा हिन्दी में करने के प्रति कर्मचारियों में रूचि बढ़ाने के उद्देश्य से केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति, जिला न्यायालय, दिल्ली के दिशानिर्देशों के अनुरूप **शाहदरा जिला, कड़कड़कडूमा न्यायालय, दिल्ली** में राजभाषा हिन्दी की विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है जिसमें शाहदरा जिला, कड़कड़कडूमा न्यायालय, दिल्ली में कार्यरत सभी वर्ग के कर्मचारी हिस्सा ले सकते हैं। प्रतियोगिताओं के लिए निर्धारित नियमावली इस परिपत्र के साथ संलग्न है तथा प्रतियोगिताओं का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्रम	प्रतियोगिता का नाम	स्थान	दिनांक व समय
1	स्वरचित रचना प्रतियोगिता (कविता, कहानी, लेख, यात्रा-वृत्तांत आदि)	स्वरचित रचनाएं दिनांक 21 सितंबर 2022, दोपहर 01.00 बजे तक ही स्वीकार की जाएंगी।	
2	राजभाषा हिन्दी-सामान्य ज्ञान व अनुवाद प्रतियोगिता (लिखित परीक्षा)	लघु सभागार कक्ष (मिनि कॉनफ्रेंस हॉल), तृतीय तल, पूर्व जिला, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली	दिनांक 21 सितंबर 2022 समय:-अपराह्न 03.00 बजे से 04.00 बजे तक।
नोटः राजभाषा हिन्दी-सामान्य ज्ञान व अनुवाद प्रतियोगिता (लिखित परीक्षा) में सहभागिता करने वाले करने वाले सभी कर्मचारी निर्धारित तारीख,समय व स्थान पर प्रतियोगिता शुरु होने से 15 मिनट पहले पहुँचें।			
****कृपया ध्यान दें:-विस्तृत जानकारी हेतु इसके साथ संलग्न नियमावली ध्यानपूर्वक पढ़े।**			

उपर्युक्त प्रतियोगिता के परिणामों की जानकारी यथासमय दी जाएगी तथा प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतियोगियों को नियमानुसार पारितोषिक प्रदान किया जाएगा। प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए इच्छुक कर्मचारी अपना नाम **दिनांक 17 सितंबर 2022, अपराह्न 01.00 बजे तक निर्धारित प्रपत्र पर** उचित माध्यम से राजभाषा हिन्दी अनुभाग (शाहदरा), पोटा केबिन, तृतीय तल, कड़कड़कडूमा न्यायालय, दिल्ली को भेजें।

आकांक्षा चावला
नोडल अधिकारी (शाहदरा),
केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति,
कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली।

संख्या.8536-43/**प्रतियोगिता/हिन्दी/शाहदरा/क.क.डू./दिल्ली/2022** **दिनांक**...13/9/22.....

सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त माननीय न्यायाधीश अधिकारी, शाहदरा जिला, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली ।
2. समस्त वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक), प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक) व अनुभाग प्रभारी (शाहदरा जिला), कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली ।
3. माननीय अध्यक्ष, केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति, जिला न्यायालय, दिल्ली।
4. अनुभाग प्रभारी, राजभाषा हिन्दी अनुभाग (केन्द्रीय), तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
5. आहरण एवं संवितरण अधिकारी/ लेखा अधिकारी, लेखा अनुभाग, शाहदरा जिला, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली।
6. निजी सचिव, कार्यालय माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय), कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली।
7. निजी सचिव, कार्यालय माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (शाहदरा), कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली।
8. संबंधित कर्मचारी, लेयर्स डेस्क, शाहदरा जिला, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली (इस परिपत्र को लेयर्स पर अपलोड करें)।

****कृपया ध्यान दें** : इस परिपत्र को अपने अधीनस्थ सभी कर्मचारियों को अवश्य सूचित करें व प्रतीयगिता में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करें।

आकांक्षा चावला
नोडल अधिकारी (शाहदरा)
केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति,
कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली।

शाहदरा जिला, कड़कड़कडूमा न्यायालय, दिल्ली में आयोजित की जाने वाली राजभाषा हिन्दी की विविध प्रतियोगिताओं का स्वरुप व नियमावली–2022.

शाहदरा जिला, कड़कड़डूमा न्याझयालय, दिल्ली में कार्यरत कर्मचारियों के लिए आयोजित की जाने वाली राजभाषा हिंदी की विविध प्रतियोगिताओं की श्रेणियाँ निम्न प्रकार होंगी:–

क) राजभाषा हिन्दी–सामान्य ज्ञान व अनुवाद प्रतियोगिता (लिखित परीक्षा)

ख) स्वरचित रचना (कविता, कहानी, लेख, यात्रा–वृत्तांत आदि)

उपरोक्त प्रतियोगिताओं के लिए निर्धारित नियमावली–

1. उक्त प्रतियोगिताओं में शाहदरा जिला, कड़कड़कडूमा न्यायालय, दिल्ली में तैनात सभी कर्मचारीगण भाग ले सकते हैं।
2. प्रतियोगिताओं के आयोजन की तारीख, समय, स्थान इत्यादि की जानकारी परिपत्र में लिखित है।
3. ये प्रतियोगिताएँ निःशुल्क हैं।
4. इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु इच्छुक कर्मचारियों को अपने नाम शाहदरा जिला के नोडल अधिकारी, केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति, जिला न्यायालय, दिल्ली को उचित माध्यम से भेजने होगें और कर्मचारी प्रत्येक प्रतियोगिता के लिए बनाए गए निम्नलिखित नियमों का पालन करते हुए उसमें भाग ले सकते है:–

क) राजभाषा हिन्दी–सामान्य ज्ञान व अनुवाद प्रतियोगिता (लिखित परीक्षा)हेतु नियमः–

i) इस प्रतियोगिता का समय एक घंटे का होगा।

ii) इस प्रतियोगिता में राजभाषा हिन्दी से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएँगे।

iii) इस प्रतियोगिता में अंग्रेज़ी से हिंदी व हिंदी से अंग्रेज़ी अनुवाद भी सम्मिलित होगा।

ख) स्वरचित रचना (कविता, कहानी, लेख, यात्रा–वृत्तांत आदि) प्रेषित करने हेतु नियमः–

i) कर्मचारी अपनी स्वरचित रचना निर्धारित तारीख तक बंद लिफाफे में संबंधित जिला के **नोडल अधिकारी (शाहदरा), केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति, जिला न्यायालय, दिल्ली** (राजभाषा हिन्दी अनुभाग ,शाहदरा, कड़कड़कडूमा न्यायालय, दिल्ली) को भेजेंगे।

ii) स्वरचित रचना के साथ कर्मचारी द्वारा यह प्रमाणित करते हुए **प्रमाणपत्र** संलग्न किया जाना चाहिए कि वह रचना उसकी स्वरचित रचना है जो कहीं भी प्रकाशित नहीं हुई है तथा उस रचना के लिए उसने कहीं से कोई पुरस्कार प्राप्त नहीं किया है। इस प्रमाणपत्र के बिना रचना स्वीकार नहीं की जाएगी।

iii) स्वरचित रचना किसी भी जाति, धर्म, सम्प्रदाय या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाली नहीं होनी चाहिए व राष्ट्रविरोधी व सरकार के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए।

5. प्रत्येक प्रतियोगिता के लिए नकद पुरस्कारों का विवरण निम्नलिखित है:–

प्रथम पुरस्कार (एक)	**4000/– रुपये**
द्वितीय पुरस्कार (एक)	**3000/– रुपये**
तृतीय पुरस्कार (एक)	**2000/– रुपये**
प्रोत्साहन पुरस्कार (पाँच)	**800/– रुपये**

6. उपर्युक्त विविध हिन्दी प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाने से लेकर पुरस्कार वितरण आदि तक की समस्त कार्यवाही शाहदरा जिला के नोडल अधिकारी, केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति के नियंत्रण व देखरेख में शाहदरा जिला में स्थापित राजभाषा हिन्दी अनुभाग द्वारा की जाएगी।

7. **कर्मचारी सभी प्रतियोगिताओं में सम्मिलित हो सकते है लेकिन उन्हें पुरस्कार केवल किसी एक प्रतियोगिता में ही दिया जाएगा, जिसमें उसकी मेरिट बेहतर होगी। यदि एक से अधिक कर्मचारियों ने समान अंक प्राप्त किये हैं तो पुरस्कार राशि उनमें समान अनुपात में वितरित की जाएगी।**

8. इन प्रतियोगिताओं से संबंधित किसी भी बदलाव, विवाद, शिकायत या इसके नियमों के निर्वहन आदि के बारे में माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (शाहदरा) का निर्णय ही अंतिम होगा।

नोडल अधिकारी (शाहदरा),
केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति,
कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली।

राजभाषा हिन्दी अनुभाग (शाहदरा)

कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली।

शाहदरा जिला, कड़कड़कडूमा न्यायालय, दिल्ली में आयोजित निम्नलिखित प्रतियोगिताओं में शामिल होने के लिए निर्धारित प्रपत्रः–

क) राजभाषा हिन्दी–सामान्य ज्ञान व अनुवाद प्रतियोगिता (लिखित परीक्षा)

ख) स्वरचित रचना (कविता, कहानी, लेख, यात्रा–वृत्तांत आदि)

(नोट–एक से अधिक प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए कृपया अलग–अलग प्रपत्र भरें। इस प्रपत्र के सभी कॉलम अवश्य भरें, किसी भी कॉलम को रिक्त न छोड़ें।)

प्रतियोगिता का नामः– _____

1.कर्मचारी का नाम : _____

2.पिता/पति का नाम : _____

3. पदनाम व कर्मचारी कूट संख्या : _____

4. वर्तमान तैनाती स्थल : _____

5. ई–मेल पता : _____

6. मोबाइल नंबर : _____

(कर्मचारी के हस्ताक्षर)

अग्रसारित

अग्रेषण अधिकारी के हस्ताक्षर

(मोहर सहित)